रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2009/फाल्गुन 15, 1930

No. 417] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2009/PHALGUNA 15, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2009

का.आ. 641(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 5 मार्च, 2009 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष

संसद भवन, नई दिल्ली

प्रो. राम गोपाल यादव,
नेता, समाजवादी संसदीय दल,
कार्यालय का पता :
130, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 .....याची

बनाम

श्री राजनरायन बुधौलिया,
संसद सदस्य (लोक सभा),
मोहल्ला—भटियाना,
कस्बा और तहसील रथ,
जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश .....प्रत्यर्थी

के मामले में :

आदेश

1. यह आवेदन लोक सभा में समाजवादी पार्टी (एस.पी.) के नेता के रूप में प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा 28 जुलाई, 2008 को श्री राजनरायन बुधौलिया, संसद सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दाखिल किया गया था, जिसमें यह आदेश देने की प्रार्थना की गई है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 21 जुलाई, 2008 को पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रत्यर्थी को जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके अपने मत का प्रयोग करने के आधार पर प्रत्यर्थी को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान लोक सभा के सदस्य के रूप में बने रहने से निरर्ह किया जाए ।

2. याची द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी, जो लोक सभा का सदस्य है, चौदहवीं लोक सभा के लिए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुआ था और प्रत्यर्थी का नाम लोक सभा के रिकार्ड में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की सूची में दिया हुआ है ।

3. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी को 21 और 22 जुलाई, 2008 को बुलाए गए लोक सभा के विशेष सत्र में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए व्हिप जारी किया था । समाजवादी संसदीय पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा कथित तौर पर जारी 15 जुलाई, 2008 के तीन पंक्तियों के व्हिप की एक प्रति याचिका के साथ संलग्न है ।

4. याची का मामला यह है कि प्रत्यर्थी ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत करने की बजाय पार्टी के व्हिप और निदेश का उल्लंघन करते हुए उसके विरुद्ध मत दिया और इस प्रकार प्रत्यर्थी वर्तमान लोक सभा का सदस्य बने रहने से निरर्ह हो गए हैं तथा उनके द्वारा पार्टी के निदेश के विरुद्ध मतदान करने को पार्टी ने माफ नहीं किया है ।

5. प्रत्यर्थी ने 15 अक्तूबर, 2008 को याचिका के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत किया और उसके बाद 16 अक्तूबर, 2008 को एक और उत्तर प्रस्तुत किया । याची ने 18 सितम्बर, 2008 को अपने तर्क के समर्थन में कुछ प्रेस कतरनों की प्रतियां प्रस्तुत कीं और अपने मामले के समर्थन में कतिपय वक्तव्यों वाला उसी तारीख का एक पत्र भी प्रस्तुत किया ।

6. मैंने इस मामले में पक्षकारों की 5 और 18 सितम्बर, 2008 को 20 और 30 अक्तूबर, 2008 को और 19 नवम्बर, 2008 को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई की तथा दिए गए तर्कों के स्वरूप पर विचार करने के पश्चात् मैंने महसूस किया कि इस मामले को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत प्रारंभिक जाँच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए ।

7. इस मामले पर विशेषाधिकार समिति द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया गया और पक्षकारों को अपने-अपने निवेदन करने के लिए पूर्ण अवसर देने के पश्चात् 12 फरवरी, 2009 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन की प्रति को इन कार्यवाहियों के रिकार्ड का भाग बनाया गया है ।

8. समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि याची यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है कि व्हिप वस्तुत: प्रत्यर्थी को तामिल किया गया था और आगे यह माना है कि समिति इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि प्रत्यर्थी विश्वास मत के बारे में अपनी पार्टी के निर्णय से वाकिफ नहीं था ।

9. चूंकि मामले के तथ्यों और पक्षकारों के संबंधित तर्कों पर विशेषाधिकार समिति ने पूर्ण रूप से विचार किया है, इसलिए इसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है ।

10. विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत दलीलों और साक्ष्यों तथा समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए मैं इस संबंध में पूर्णत: स्पष्ट हूँ कि याची किसी लिखित सूचना अथवा व्हिप की प्रति प्रत्यर्थी को तामिल किए जाने की बात को सिद्ध नहीं कर पाया है और रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त तामिल की बात अत्यंत विवादित है ।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किहोता होलोहोन *बनाम* जाचिल्हू एवं अन्य (ए.आई.आर 1993 एस सी 412) के अपने अभिनिश्चय में टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अनुसार सदस्यों को लिखित रूप में निदेश जारी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, इस तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी को व्हिप तामिल किए जाने संबंधी कोई स्पष्ट साक्ष्य है अथवा नहीं, और यदि नहीं, तो परिस्थिति की समग्रता और मामले की गंभीरता पर विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि वस्तुत: प्रत्यर्थी को निदेश जारी किए गए थे अथवा नहीं ।

12. उपर्युक्त तथ्यों और तर्कों को देखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रत्यार्थी को लिखित रूप में व्हिप तामिल किए जाने का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है । ऐसे तामिल किए जाने का निर्णय तथ्य के किसी विवादास्पद मुद्दे पर आधारित नहीं होना चाहिए । इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिश्चय दिया है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अनुसार निदेश लिखित रूप में होना चाहिए और सदस्य को जारी किया जाना चाहिए । इस मामले में ऐसी अपेक्षा स्पष्टत: पूरी नहीं की गई है ।

13. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन तथा सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों सहित मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह राय है कि याची संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) की अपेक्षा के अनुसार प्रत्यर्थी को व्हिप तामिल किए जाने अथवा निदेश दिए जाने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है ।

14. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा विधि की दृष्टि में मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया है कि प्रत्यर्थी ने ऐसा कोई कार्य किया है जो भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) की परिधि में आता हो ।

15. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया है कि याची याचिका में दिए गए तर्कों को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है और याचिका अस्वीकृत की जाती है ।

नई दिल्ली — ह./-
5 मार्च, 2009 — सोमनाथ चटर्जी
अध्यक्ष, लोक सभा"

[सं. 46/31/2008/टी.]

पी.डी.टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2009

S.O. 641(E).—The following Decision dated 5th March, 2009 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"BEFORE THE HON'BLE SPEAKER OF LOK SABHA PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI

In the matter of :

Prof. Ram Gopal Yadav,
Leader, Samajwadi Parliamentary Party,
Office Address:
130, Parliament House,
New Delhi-110 001 .....Petitioner

Versus

Shri Rajnarayan Budholiya,
Member of Parliament (Lok Sabha),
Mohalla—Bhatiyana,
Kasba & Tehsil—Rath,
District Hamirpur, Uttar Pradesh. ....Respondent

ORDER

1. This is an application filed on 28th July 2008 by Prof. Ram Gopal Yadav as Leader, Samajwadi Party (SP) in Lok Sabha against Shri Rajnarayan Budholiya, Member of Parliament, Lok Sabha praying for an order that the Respondent may be disqualified for being continuing as a Member of the present Lok Sabha under the Tenth Schedule of the Constitution of India on the ground of his exercising vote in violation of the Party's whip issued on the Respondent during Motion of Confidence moved by the Hon'ble Prime Minister in Lok Sabha on 21 July, 2008.

2. It is contended by the Petitioner that the Respondent who is a Member of the Lok Sabha, was elected to the Fourteenth Lok Sabha from Hamirpur Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh as a candidate of Samajwadi Party and the name of the Respondent appears in the list of the Samajwadi Party Members in the records of the Lok Sabha.

3. It is contended in the petition that the Respondent was issued a whip for voting in favour of the Motion of Confidence in the Council of Ministers moved by the Hon'ble Prime Minister in the Special Session of Lok Sabha summoned on 21st and 22nd July 2008. A copy of a three line whip dated 15 July 2008 stated to be issued by the Chief Whip of the Samajwadi Parliamentary Party has been annexed to the Petition.

4. The Petitioner's case is that the Respondent, instead of voting in favour of the Motion of Confidence, voted against the same in violation of the Party whip and direction, and therefore, the Respondent has incurred disqualification for being a Member of the present Lok Sabha and his voting against the Party's direction had not been condoned by the Party.

5. On 15th October 2008, the Respondent submitted his Reply to the Petition and a further Reply was submitted by him on 16th October 2008. On 18th September 2008 the Petitioner furnished copies of some Press clippings in support of his contention and a letter of the same date enclosing certain statements in support of his case.

6. I gave a personal hearing to the parties in the matter on 5th and 18th September 2008; on 20th and 30th October 2008 and on 19th November 2008 and after considering the nature of the contentions made, I felt that the matter should be referred to the Privileges Committee for a preliminary enquiry under the relevant rules.

7. The matter was fully considered by the Committee of Privileges and a Report has been submitted on 12th February 2009, after giving full opportunities to the parties to make their respective submissions. A copy of the Report is made part of record of these proceedings.

8. The Report that has been submitted by the Committee states, inter alia, that the Petitioner has not been able to produce any documentary proof to establish that the whip was actually served upon the Respondent and further observed that the Committee was not at all convinced that the Respondent was not aware of the stand of his Party on the Motion of Confidence.

9. As the facts of the case and the respective contentions of the parties have been fully considered and dealt with by the Committee of Privileges, the same are not set out her.

10. In view of the pleadings as well as evidence submitted before the Committee of Privileges and the Report of the Committee, to my mind it is clear that the Petitioner has not been able to prove the service of a written intimation or copy of the whip on the Respondent and on the basis of evidence on record, such service is very much a disputed fact.

11. The Hon'ble Supreme Court has observed in its decision of Kihota Hollohon v. Zachilhu & Ors. (AIR 1993 SC 412) that a direction as contemplated by Para 2 (1)(b) of the Tenth Schedule is required to be in writing and issued to the Members. Thus, it is necessary to consider whether there was any clear evidence of service on the Respondent and if not, then, one has to consider the totality of circumstances and the plausibility of the case in coming to a finding whether directions were in fact issued to the Respondent or not.

12. From the facts and contentions mentioned above, to my mind, there is no clear evidence of the service of the whip in writing on the Respondent. A decision of such service should not be based on any disputed question of fact. Further, the Supreme Court has been pleased to decide that a direction as contemplated by paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule has to be in writing and has to be issued to the Member. Such requirement in this case has not been clearly fulfilled.

13. Taking all the circumstances of the case including the Report of the Privilege Committee and also the submissions made during the hearing into account, I am of the opinion that the Petitioner has not been able to adduce any credible evidence regarding service of the whip or direction on the Respondent in accordance with the requirement of Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution.

14. Thus in the facts and circumstances of the case and in law, I do not find that the Respondent has done any such act, which comes within the purview of paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

15. Taking into account the aforesaid, I find that the Petitioner has not been able to establish the contentions made in the Petition and the same stands rejected.

Sd/-

New Delhi SOMNATH CHATTERJEE
Dated the 5th March, 2009 SPEAKER, LOK SABHA"

[No. 46/31/2008/T]

P. D. T. ACHARY, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.